न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 35/2018

1. अर्जुनलाल पुत्र स्व0 किशनलाल, जाति जाट, निवासी मिण्डी हाल निवासी WZ 256/E-3 3rd Block इन्द्रपुरी दिल्ली।

2. जुगलकिशोर
3. नन्दूदेवी पुत्र

पुत्रान स्व0 गिरधारी, समस्त जाति जाट, निवासी मिण्डी हाल निवासी प्लॉट न0 53, जयदादी नगर विस्तार, करधनी थाना के सामने कालवाड रोड जयपुर।

– अपीलान्ट/प्रति0 सं0 8 व 11 व 12 –

बनाम

1. हीरालाल पुत्र स्व0 हेमा
2. भूराराम पुत्र स्व0 शिम्भू

समस्त जाति जाट, निवासी मिण्डी तह0 कि0 रेनवाल, जिला जयपुर राज0।

3. हुक्माराम
4. सांवरमल
5. गोपाल
6. बिरजू

पुत्रान स्व0 हेमा, जाति जाट, निवासी मण्डी, तहसील कि0 रेनवाल, जिला जयपुर राज0।

7. नाथू पुत्र केशा
8. जगदीश पुत्र शिम्भू
9. ओमप्रकाश पुत्र शिम्भू
10. खेमाराम पुत्र किशनलाल
11. भागीरथ पुत्र किशनलाल

समस्त जाति जाट, निवासियान मिण्डी तह0 कि0 रेनवाल, जिला जयपुर।

12. एच.डी.एफ.सी बैंक शाखा कि0 रेनवाल जरिये प्रबन्धक
13. दी जयपुर सेन्ट्रल कॉआपरेटिव बैंक लि0 शाखा रेनवाल जरिये प्रबन्धक
14. तहसीलदार कि0 रेनवाल जिला जयपुर।

–रेस्पोडेंट्स/प्रतिवादीगण 1 ल0 7, 9, 13 ल0 15–

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री रामावतार शर्मा अपीलांट की ओर से।
2– श्री सुरेश कुमार चाहर रेस्पोडेंट संख्या 1 ल0 9 की ओर से।
3– श्री जे.एस. गिरी रेस्पोडेंट संख्या 10 व 11 की ओर से।
4– श्री नीरज शर्मा रेस्पोडेंट संख्या 12 की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :–02–04–2018

1– यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय/डिक्री न्यायालय सहायक जिलाधीश सांभर लेक दिनांक 14.07.2017 वाद संख्या 0156/17 उनवानी हीरालाल वगै0 बनाम हुक्माराम वगै0 प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण कें संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पो0 संख्या 1, 2 ने एक वाद घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दिनांक 03.07.2017 को न्यायालय सहायक जिलाधीश महोदय सांभर के यहा

इस आशय का पेश किया कि "वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 के बुजूर्ग बिशना, केशा, हेमा, शिम्भू संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य थे जो कि स्व0 लादू के जांयदा पुत्र थे। आरजी खाता संख्या 168 की खसरा नम्बर 1223, 1224, 1225, 1226 किता 4 कुल रकबा 17 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम कि0 रेनवाल तह0 कि0 रेनवाल जिला जयपुर में स्थित है एवं खाता नम्बर 7 की आराजी खसरा नम्बर 102 रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा वाके मिण्डी पटवार हल्का नांदरी मुण्डियागढ तह0 कि0 रेनवाल में स्थित है व खाता संख्या 38 की आराजी खसरा नम्बर 99 रकबा 12 बीघा 03 बिस्वा वाके ग्राम मिण्डी प0ह0 नांदरी में स्थित है जिसका वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य विवाद चल रहा है। प्रतिवादीगण संख्या 8 लगायत 12 दिनांक 26.05.2017 को वादग्रस्त भूमि पर अजनबियों को लाकर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ल0 7 की हक व हिस्से की भूमि अपनी बताते हुए विक्रय की बात करने लगे आदि तथ्यों पर पेश कर मुताबिक प्रार्थना वाद संख्या 11 के अनसार वाद डिक्री करने की प्रार्थना की। उक्त वाद दिनांक 03.07.2017 को अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया जो दिनांक 10.07.2017 को लोक अदालत कोर्ट कैम्प बासडी खुर्द में रखा जाकर दिनांक 14.07.2017 को वाद अंतिम डिक्री कर दिया उक्त निर्णय व डिक्री से असन्तुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलान्टस द्वारा अपील मीमों में कथन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2017 विधि विधान व कानून के विपरीत जाकर पारित की है जो निरस्त किए जाने योग्य है। मान्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय/डिक्री दिनांक 14.07.2017 एकपक्षीय पारित की है जबकि अपीलान्टस/प्रतिवादी संख्या 8 ल0 12 को प्रकरण की कभी कोई तामिल नहीं हुई है। राजस्व लोक अदालत कैम्प बांसडी खुर्द के कैम्प का दावे का सम्मन व अन्य कोई सम्मन प्रतिवादी संख्या 8 ल0 12 को कभी प्राप्त नहीं हुआ है। वादीगण ने तामिल कुनिन्दा से मिलीभगत कर फर्जी चस्पान्दगी की तामिली करवाई है जबकि प्रतिवादी संख्या 8 दिल्ली में 30 वर्षो से रहता है व प्रतिवादी संख्या 11, 12 जयपुर में 6 साल से रहते हैं तथा प्रतिवादी नम्बर 9 लकवे की बीमारी से ग्रस्त है इसलिए मान्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट व प्रतिवादी संख्या 8 ल0 12 को बिना सुनवाई का अवसर दिये नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत जाकर निर्णय/डिक्री दिनांक 14.07.2017 को पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय/डिक्री दिनांक 14.07.2017 पारित करते समय पत्रावली का सही अवलोकन नहीं किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों/दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत जाकर मनमर्जी से निर्णय/डिक्री पारित किया है। वादीगण को अपना दावा अपनी साक्ष्य से साबित करना था परन्तु उक्त प्रकरण में वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 सशपथ न तो कोई मौखिक स दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की तथा मान्य अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण के साथ मिलीभगत करके प्रतिवादी संख्या 8 ल0 12 को सदोष नुकसान पहुचाने की गर्ज से आपराधिक षडंयत्र रचते हुए फर्जी डिक्री/निर्णय पारित किया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय/डिक्री दिनांक 14.07.2017 विधि सम्मत नहीं होने के कारण खारिज योग्य है। वादीगण ने तथ्यों को छिपाते हुए अधीनस्थ न्यायालय से मिलीभगत करके दावा पेश किया है जबकि उक्त आराजियात बाबत् इन पक्षकारों के मध्य पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद मुकदमा संख्या 101/07 उनवानी नाथू बनाम हीरा उक्त वाद अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय/डिक्री के समय लम्बित था वादीगण ने बिना किसी साक्ष्य के फर्जी डिक्री पारित करवाई है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। तथा उक्त डिक्री सी0 पी0 सी0 के प्रावधानों के विपरीत जाकर पारित की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। मान्य अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

ने जिस तहसीलदार रिपोर्ट के आधार मानकर डिक्री पारित की है उक्त रिपोर्ट पेश करने बाबत् अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार को आदेश नहीं दिये, तथा अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 10.07.2017 में उक्त तहसीलदार रिपोर्ट को शामिल पत्रावली होने का इन्द्राज है जबकि पटवार हल्का दिनांक 11.07.2017 को मौके पर जाना बताता है। तथा 13.07.2017 को रिपोर्ट पेश होना बताता है। इस प्रकार वादीगण ने राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से मिलकर आपराधिक षडंयत्र रचकर वादीगण को सदोष लाभ पहंचाने की गरज से प्रतिवादीगण संख्या 8 ल0 12 को सदोष नुकसान पहुचाने की गरज से फर्जी मौका रिपोर्ट की कूटरचना करके निर्णय/डिक्री दिनांक 14.07.2017 पारित की है। उक्त विवादग्रस्त आराजी से संबंधित पूर्व में वाद लंबित था जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्री निशु कुमार अग्नोहोत्री की न्यायिक प्रक्रिया संदिग्ध होने पर जिला कलक्टर जयपुर के यहां प्रकरण अन्य न्यायालय में हस्तान्तररण हेतु प्रस्तुत किया जिसकी जानकारी अधीनस्थ न्यायालय पीठासीन अधिकारी को थी उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण से समान तथ्यों पर दूसरा दावा प्रस्तुत करवाया तथा अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर मनमर्जी से आपराधिक आशय रखते हुए विधि विरूद्ध डिक्री पारित की निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय/डिक्री पारित करते समय समय दावे का अवलोकन नहीं किया जबकि वादी का दावा सी0 पी0सी0 के प्रावधानों के विपरीत पेश किया है दावा आ0 6 व 7 के अनुसार सत्यापित नहीं है न ही सत्यापन पर दिनांक अंकित है व हस्ताक्षर नहीं है साथ ही वाद के साथ जो शपथ पत्र पेश किया उसमें दिनांक अंकित नहीं है व शपथ पत्र प्रमाणित नहीं है। राजस्व कैम्प में निर्णय डिक्री मात्र राजीनामें के आधार पर ही पारित किये जा सकते हैं। जबकि उक्त प्रकरण मान्य न्यायालय ने राजस्व कैम्प के विरूद्ध जाकर बिना किसी साक्ष्य के विधि विरूद्ध जाकर निर्णय/डिक्री दिनांक 14.07.2017 पारित की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त निर्णय/डिक्री दिनांक 14.07.2017 की अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं है। निर्णय/डिक्री की जानकारी दिनांक 08.01.2017 को जब अपीलान्ट पटवार हल्का संवंत जमाबन्दी की नकल प्राप्त की जब हुई है। इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय/डिक्री दिनांक 14.07.2017 के नकल का आवेदन पेश किया जो दिनांक 15.01.2018 को सांयकाल प्राप्त हुई तथा जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश है। बिनावर रफाये हुज्जत दफा 5 का आवेदन अलहदा पेश है। निर्णय डिक्री दिनांक 14.07.2017 कतई इलिगल कान्ट्रेरी टूला एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय/डिक्री दिनांक 14.07.2017 हीरालाल बनाम हुक्माराम मु0न0 156/17 निरस्त फरमाया जावें।

4— अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त की जाकर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5— अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहरातें हुए कथन किया गया कि प्रकरण में अपीलान्ट की तामील नहीं करवाई गई है। दिनांक 10.07.2017 की जो रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है वह पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। पटवारी द्वारा दिनांक 11—7—2017 को रिपोर्ट तैयार की गई है जो मूल ही तहसीलदार द्वारा दिनांक 13.07.2017 को प्रेषित की गई है उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो कि अवैध है। वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में पूर्व से ही एक दावा संख्या 101/2017 उनवानी नाथु व अन्य बनाम गिरधारी व अन्य प्रस्तुत किया गया था वादीगण द्वारा उक्त तथ्यों को छिपाते हुए तथा मिथ्या वाद

कारण के आधार पर दावा प्रस्तुत किया गया है अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाया जावे। रेस्पोडेंटस संख्या 10 व 11 के अधिवक्ता द्वारा अपीलान्ट की अपील का समर्थन किया गया है।

6– रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 9 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि अपीलान्ट पर इंकारी से तामील हुई है तथा वे बावजूद तामील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.01.2018 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 प्रस्तुत किया गया है तथा दिनांक 16.01.2018 को यह अपील प्रस्तुत कर दी गई है जो चलने योग्य नहीं है। वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही पूर्वज लादू के वारिसान है तथा अन्य भूमि भी 1/4, 1/4 हिस्से दर्ज हुई हैं अतः वादग्रस्त भूमि में भी वादीगण एवं प्रतिवादीगण का 1/4, 1/4 हिस्सा निहित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

7– उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा दिनांक 03.07.2017 को दावा बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम मिण्डी तहसील किशनगढ रेनवाल, जिसका वाद पत्र के मद नं0 2 में किया गया है, बाबत् प्रस्तुत किया गया। उक्त वाद अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 08, 11 व 12 तथा अन्य प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 3 ता0 14 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली दिनांक 10.07.17 को नियत की गई। दिनांक 10.07.17 की आदेशिका में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उल्लेख किया गया है कि:– **"10.7.2017 –पत्रावली राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प बासडी खुर्द में पेश हुई। लोक अदालत की भावना से पत्रावली का अवलोकन किया। वकील वादी/पैरोकार उपस्थित। तहसीलदार किशनगढ रेनवाल से फर्द मौका, मौका जांच रिपोर्ट खसरा नम्बर 1223, 1224, 1225, 1226 कुल रकबा 17 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम रेनवाल की पेष की गई। जो सामीक फाईल किया गया। प्रतिवादी संख्या 14 की ओर से भी नवीन प्रसाद शर्मा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 की तामील तहसीलदार रेनवाल के होकर पेश हुई। बावजूद तामील/सूचना के उपस्थित नहीं अतः प्रतिवादी संख्या 1 ल0 13 की एक्स पार्टी की जाती है। प्रतिवादी संख्या 14 ने जवाब पेश नहीं करना जाहिर किया। तहसीलदार किशनगढ रेनवाल से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि पर किशना, केशा, हेमा, शिम्भू, प्रुत्रान लादू व इनके वारिसों का पैमाईश प्रारम्भ से ही कब्जा चला आ रहा है। इसी प्रकार से संयुक्त रूप से अपने–अपने 1/4, 1/4 हिस्से को काश्त करते आ रहे हैं। इस प्रकार अन्य पडौसी काश्तकारों ने भी यही बात बताई मौजूद काश्तकारों के हस्ताक्षर करवाये गये। वकील वादी/पैरोकार की बहस सुनी गई। तहसीलदार किशनगढ रेनवाल से प्राप्त फर्द मौका रिपोर्ट, खसरा गिरदावरी, जमाबन्दी, एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि कब्जा पुराना सैटलमेन्ट से चला आ रहा है। का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते लोक अदालत की भावना के मद्दनेजर रखते हुए आदेश दिनांक 14.7.2017 को पेश हो।"** तत्पश्चात् दिनांक 14.07.17 को अपीलाधीन निर्णय पारित कर वादी का वाद डिक्री कर दिया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तलबी नोटिस पर रिपोर्ट की गई है कि **"श्रीमान आराजी घर पर मौजूद मिला, नोटिस लेने व चस्पा करने से मना किया, अतः मूल ही सेवा में पेश है।"** उक्त नोटिसों पर गवाहों का पूर्ण पता अंकित नहीं है न ही

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

दिनांक अंकित है कि तामील कुनिन्दा कब उक्त नोटिस लेकर अपीलान्ट के निवास पर गया था। इस प्रकार से उक्त नोटिस न ही तामील हुए है तथा न ही उचित रूप से चस्पा किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तामीलों को पर्याप्त मानकर जो एकतरफा कार्यवाही की गई है वह अनुचित है। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 में वर्णित जानकारी के तथ्य को इन परिस्थितियों में अनुचित नही ठहराया जा सकता है तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई जांच रिपोर्ट पृष्ठ संख्या 46 पर उपलब्ध है। उक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 11.07.2017 को तैयार की गई है जिसे तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा कैम्प डूंगरी कला से दिनांक 13.7.17 को अधीनस्थ न्यायालय को अग्रेषित किया गया है। उक्त रिपोर्ट के अतिरिक्त कोई अन्य जांच रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जिसे दिनांक 10.7.17 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया हो जैसा कि आदेशिका दिनांक 10.7.17 में उल्लेख किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका में मिथ्या तथ्य अंकित किये गये हैं। न्यायालय के समक्ष दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है। यदि तर्क रूप में यह मान भी लिया जावे कि बावजूद सूचना के प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए थे तो भी अपने वाद पत्र को साबित करने का भार वादीगण पर यथावत रह जाता है तथा उन्हें अपने वाद को साक्ष्य सबूत के आधार पर साबित करना होता है। अधीनस्थ न्यायालय को सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया की पालना करने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की जानी चाहिए थी। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि न्यायालय द्वारा उल्लेख की गई तहसीलदार किशनगढ रेनवाल से प्राप्त तथाकथित मौका जांच रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है एवं यदि पत्रावली पर उपलब्ध जाचं रिपोर्ट दिनांक 11–7–2017 का अवलोकन किया जावे तो वह मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट है जो कि बिल्कुल अस्पष्ट है एवं उसका कोई दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य नहीं लिया गया है। तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा उक्त रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं कर मूल ही अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की गई है। जो किसी भी दृष्टि से विधिक जांच रिपोर्ट नहीं कही जा सकती है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री आनन–फानन में एवं मिथ्या तथ्यों का उल्लेख करते हुए तथा विधिक प्रक्रिया का उल्लंघन कर पारित किया गया है जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। यहां तक कि वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र भी तथ्यों को छिपाते हुए प्रस्तुत किया गया है जो कि अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेज फोटो प्रति दावा संख्या 101/2007 के अवलोकन से स्पष्ट है। वादीगण द्वारा पूर्व में दावा संख्या 101/2007 वादग्रस्त भूमि के संबंध में घोषणा हेतु प्रस्तुत किया हुआ था तथा उक्त तथ्यों को छिपाते हुए अन्य वाद पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है जिसमें अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। हस्तगत अपील से संबंधित वाद पत्र में वाद कारण दिनांक 26–5–2017 को उत्पन्न होना कथन किया गया है जबकि पूर्व में प्रस्तुत वाद संख्या 101/2007 में वाद कारण दिनांक 15–3–2007 को उत्पन्न होने का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तथ्यों को छिपाते हुए एवं मिथ्या कथन करते हुए वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी विधिक प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए तथा मिथ्या तथ्य अंकित करते हुए अवैध जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो कि अविधिक होने के कारण बहाल रखे जाने योग्य नहीं है तथा अपील स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

8— अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 14—07—2017 निरस्त किये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9— निर्णय आज दिनांक 02—04—2018 को सुनाया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर